



रिविजन कमांक / 2017

67

श्रीमान राजस्व न्यायालय ग्वालियर मध्य प्रदेश

PBR/मिगरानी/झाबुआ/शु-2/2017/1890

श्रीमती शीलाबाई पति रामचन्द्र  
राजपुत निवासी गंगाखेडी तहसील  
पेटलावद जिला झाबुआ

—प्रार्थी/अपीलार्थी

विरुद्ध

नटवरसिंह पिता मदनसिंह राठोर  
निवासी ग्राम गंगाखेडी तहसील  
पेटलावद जिला झाबुआ

—प्रतिप्रार्थी/रिस्पा.

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान आयुक्त महोदय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) को कमांक 352/अपील/2016-17 निरस्त किये जाने के कारण रिविजन प्रस्तुत

अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत अपील क. 40/अपील/2013-14 एवम पुनर्विलोकन प्र.क. 49/बी-121/16-17 दिनांक 11-2-2017 के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील



विवरण	न्यायालय
न्यायालय	आयुक्त महोदय इन्दौर
प्रकरण क.	352/अपील/2016-17
निर्णय दि.	29-5-2017
न्यायाधीश	
विषय वस्तु	1- अन्तर्गत धारा 110 के तहत अधिपत्य कृषक के रूप में नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । 2- रिव्यु पीटीशन अन्तर्गत धारा 114 व 115 सी पी सी के तहत वास्ते मृतक पक्षकार का नाम कम किया जाकर वेधानिक प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लिये जाकर आदेश पारित किये जाने बाबद निरस्त किया गया है ।

सम्माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भूरा/2017/1890

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता दो पेशियों से सूचना उपरांत अनुपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री अजय कानूनगो उपस्थित । आवेदकपक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p> २५/३२</p> <p> अधिरक्ष</p>	